कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। संख्या : 2129 / 1जी-FP/UK/ROAD/10668/2015 देहरादूनः दिनांकः ६ मई, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन

विषय:— जनपद अल्मोड़ा में भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग निर्माण— 2.43 है0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/10668/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है0 से कम तथा प्रति है0 50 से कम वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर राज्य सरकार के स्तर से सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या :

/ 1जी-FP/UK/ROAD/10668/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
- 2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल
- 3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
- 4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा
- 5. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा
- 6. अधिशासी अभियंता, नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद अल्मोड़ा में भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु — 2.43 है0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/10668/2015)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा में 0.135 हैं0 पंचायती वन भूमि तथा 2.295 हैं0 सिविल वन भूमि कुल 2.43 हैं0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में आरक्षित वन प्रभावित नहीं हो रहा है तथा अन्य वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल व पंचायती वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त ने भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 हैं0 से कम तथा प्रति हैं0 50 वृक्ष से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के मद्देनज़र, जनहित में, उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सेद्वांतिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः

(एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड अधिकारी अपर प्रमुख वन मरसक एवं नोहल अधिकारी वन मंसमण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादुन

सरकारी मोहरः

तेथि : 6/05/2015

स्थानः देहराद्न

भगरतोला— चमुवा— कपकोली मोटर मार्ग निर्माण — 08.00 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 10668 / 2015)।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉं / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं।

15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भागः ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

इस कार्यालय के **पत्रांक 2218/12-1 दिनांक 31.03.2015** से सूचित आपित्तयों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रांक 2184/12-1 क्रमशः **दिनांक 27.04.2015** द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं अभिलेखों के आलोक में सहमत।

इस कार्यालय व प्रभागीय वनाधिकारी / याचक विभाग के उक्त पत्र, मय संलग्नकों के, संलग्न है (संलग्नक— 1 से 8)।

16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0—10 व 10—20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:- 29.04.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शमी)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा। E-Mail: cfkumaon_north@rediffmail.com **व्ह** (05962) 231099 & Fax (05962) 230397

पत्रांक 2218 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 31.03.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

आपके द्वारा जनपद- अल्मोड़ा अन्तर्गत भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग का विषय:-ऑन-लाइन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 10668 / 2015)।

महोदय

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन-लाइन प्रस्ताव में निम्न किमयां पायी गयी। कृपया किमयों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

- आपके द्वारा प्रेषित ऑन—लाइन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली पंचायती भूमि में सम्बन्धित पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है। जिसे याचक विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- उक्त मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की वैधानिक स्थिति स्पष्ट नही है। अतः चयनित स्थल की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करें।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्तं, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा Phone/Fax :- (05962) 230229

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com 1127 पत्रांक 318 4

दिनांक, 27

सेवा में,

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।।

अल्मोड़ा अन्तर्गत भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग ऑन लाईन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या विषय :-10668 / 2015).

आपका पत्रांक 2218/12-1 दिनांक 31-03-2015. सन्दर्भ :--

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना का प्रतिउत्तर अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित किया गया है जिसे आपके अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय बनाधिकारी सिविल सर्वे सीयम वन प्रभाग अल्मोड़ा

अन्गपाल प्रमाण पत्र भिन्न । भाग पत्र भाग पत्र

स्रीमान अधिशामी अभियन्ता महोश्म ने जी जी जिंच जिमीला रला अला ड्रा

महायभ

निवयन इस प्रकार होन्स अगर माला

से कपकाली मार मार्ग जो के कलाड़ किया के विकास स्वण्ड होनादेवी के जारे स्वरं - मेर्जी-भीटर भाग के काहिब कियी के अगरताला से कपकाली मोश्य मर्जा की क्वीकृति हुई हैं जिसमें वन पंचायत अगरताला की मांड डल्पचारम मी० जार काही हैं। भीटर मार्ग वमने से वनपंचायत आहों को कोई कार्यात नहीं हैं। अत इस भारताला के सोई कार्यात नहीं हैं। अत इस

सद्भ्य हस्काद्धार 1) का लाजनी देनी २- और तिन्द् न सिं १- हरी । त Jaluzulosh Jaluzulosh 1-4-2019 Considered Services

कार्यालय तहसीलदार रानीखेत

संख्या- ८५३ /र.का.-क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014-15 दिनांक २४ फरवरी 2015

सेवा में.

उप जिलाधिकारी रानीखेत ।

विषय:-

विमिन्न मोटरं मार्गों में क्षितिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपेयुर्वतः विषयक जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 3283/छबीस-एफ सी /2015 दिनांक 26 फरवरी 2015 के सन्दर्भ में अपने पृष्ठांकित आर्देश दिनांक 27/02/2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । जिसमें भगरतीला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग हेतु 2.430 हैक्टेचर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि चयनित किये जाने हेतु नियमानुसार संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध करार्थे जाने के निर्देश दिये गर्बे है। प्रश्नगत सन्दर्भ में क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक पाखुडा से जांच करायी गयी । क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक की जांच आख्या के अनुसार तहसील अन्तर्गत ग्राम कालन् पटवारी क्षेत्र पाखुडा में भगरतीला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग हेतु 2.430 हैक्ट्रेयर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिनाँक 06/02/2015 को ग्राम कालन् क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक पाखुडा तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में संयुक्त निरीक्षण श्री दीवान राम, वन रिज0 अधिकारी वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग श्री बी.सी.जोशी सहायक अमियन्ता, निर्माण खण्ड लीक निर्माण विभाग अल्मोड़ा एवं श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी किनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा एवं श्री गोविन्द कत्तवाल अमीन निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोडा एवं श्री गणेश सिंह अधिकारी राजस्व उपनिरीक्षक पासंदुड़ा की उपस्थिति में किया गया। भगरतीला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग हेतु 2,430 हैक्ट्रेयर भूमि मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु ग्राम कालनू की गेर ज़मीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 19/226 श्रेणी 9 (3)ङ कृषि योग्य बंजर भूपि के पैमारासी खोत संख्या 7225 मध्ये रकवा 2,430 हैं0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने से प्रस्तावित की गयी। चयनित भूमि को मौके नक्शे में लाल रोशनाई से प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसील रानीखेत अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारीपण हेत् कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

ं अतः जांच आख्या आत्रथका कार्ययाही हत् महा निका नक्षण स्थानित्र किल्माला समस्य स्थानने निकाण विभाग है।

egalene, sint

MILITER WARRING

आज फि० २२/०२/१५ तेन तरमाज ग्रामायात के प्रामे क्षिणा कि १२/१५ तेन तरमाज ग्रामेयात के प्रामेयात के प्रामेयात

Frances Acres

The apold las

क्रिका में

<u>B</u>

महाविष्
 जिल्लाहिकरी महाविष् के पत् स्व अ83/ दिल्लीम रूपा की 12015 किमी 26 जाकी 2015 के लन्दर्भ में महीवप्
के आविष कि 27/2/2015 के 99 में मिरिन में भेटर भागी के
प्रतिष्ठल ख्रुणरीयण हेंचु भगरतीमा - नम्या अपक्रीकी
नीय भाग हेंचु किस्मा 2043 हैं प्रतिप्रस्त ख्रुमारीयण हेंचु
क्या का व्यम किया गया एक्श भीय भाग हैंचु गमा
का वाम के और जाव विक रवासा स्वेव 19/26 किमी
हे(3) 30 के र्यम में 70 विक रवासा स्वेव 19/26 किमी
हामीमा कर प्रस्तावित की जावी है। उपम श्री का
जावान के जिल्ला में प्रतिपति हैं। उपम श्री का
जावान कर प्रस्तावित की जावी है। उपम श्री का
जावान कर प्रस्तावित की जावी है। उपम श्री का

2)/2

अस्तावित - भगरतीला = समुवा - कणकी कारिय मांग हैमा प्राप्ती प्राप्त व्यक्तीर क्रावित

र्वस्त्रा म	- रहावा	-र्वाता नि	166	इ.जीनते खेत संराधा	न्दानीनेष् २५६०	fauxoj-
7225	7.000	वि १२२६	20 20	7225	2.43	
•						
	Action and the state of the sta			a management of the state of th		
					er i manufase e manufase de constante de servicio de s	
A constraint of the constraint						
*						
		T			2.43	3 20
was being a second			and the second s			

च्यामें अद्वार्ग हार्म-कन्त्र होने पासुरा WEITPERST- UTGET 1260 or. 12015 - स्वानेकार् मांनाम 81. (2.1 25 किर्माम खेल् 3 (86), 0.8cc Q. 124 वठ भग के का कि 8. 0000 1022X. 1374 60 0225. 90.000 0= 26 0. C93 S. 0'46' 6226 ७३३७ १.६१४ OZZZ Z CAZ 10226 90 10 10 10 10 10 X 42 24 C 325 6235 91028 6280 0039, 6280 9.022 62 X0 4 75X 842. الالم 974.185 ें इंड्ररवार्जनाराब्येन

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा मरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कॉम की अवस्थिति
(1) राज्य / संघराज्यक्षेत्र " प्रत्य जिल्ह"
(ii) जिला - अर्थ्या
(iii) जिला वन प्रभाग स्थितिक ट्रापिए का क्रमागु क्रिकार्
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - भगरतीला - चाला - कप करिन
17. पूर्वेक्षण के लिए पहुंचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः सिनिस - २,२१ वर्ष क्सावस 0.13530
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः नार्ष
(1) वन का प्रकार उन्हा क्योरिक
(ii) वनस्पति का औसत् पूर्ण धनत्व 💮 😽
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना
(v) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन गूर्मि की स्थलाकृति और श्रीणता पर संक्षिप्त टिप्पण निर्म कि (१७) को (१७००) की
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 500मी
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: कोई नहीं
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान बन्यजीव का ब्यारा अहत्वपूर्ण कुल क्या विद्यमान
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अन्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग निर्धा
का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) जिस्सी
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्यजीव अन्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने
 (111) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजांव अन्यारण जव क्षेत्र आरक्षण व्याप्त रिजय, होणा गालवार पूराक्षण क लिए उपयान का जान याली प्रस्तावित वन मृत्ति की सीमा से इस्त कि मी, के मीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव यार्डन की टीका—टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)। ११ किस है किस किस के स्व
ं) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याच्च रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और गुख्या वन्य जीव वार्डन की टीक्सा-टिप्पणियों उपायद्व की जाए)
7.2
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जातु के अलग या खतु में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरें कार्य जीव
22. वर्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत रथान या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्मे अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युवितयुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
(i) क्या भारा— १ के पैज़ ६ और पैज़ ७ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथापरतावित वन भमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के
लिए अति न्यूनतम है। अपिरहार्य एवं न्यून्त्र का कि की.
(ii) यदि नहीं तो वर्न भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
24. किए गए अतिकसण के ब्यौरे :
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हों/ हार्डी)
्र के किया में अंग्रिक वर्ज अपि अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) का नाम, पते और
(ii) यदि हो, को गई कार्य अवीव, आतकमण ने अतिवास वर्ग हुए। आतम पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी ब्यक्ति (याँ) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (इस) नहीं)
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। क्यान्या १६० - 2 · 130 टि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्योरे दें।
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में नाल परत नारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्योर संलग्न हैं (प्रि/्नक्षि)।
(v) श्रातिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : रूठ 3 6 9 50 = 🕫
(का) क्या अविचरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दुष्टिकाणा से पहुंचानर किर गर का अपने के अपने
संरक्षक से प्रमाण-पत्र सलग्न हैं, (हा/ महा)।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियुक्तलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संख्तक
की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हो/ नृहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संस्कृत की विनिर्देश सिकारियों स्वाकृति (विनुद्वारिक की विनिर्देश सिकारियों स्वाकृति (विनुद्वारिक की विनिर्देश सिकारियों की विनिर्देश की विनिर्देश सिकारियों के विनिर्देश की विनिर्देश सिकारियों की विनिर्देश सिकारियों की विनिर्देश की विनिर्देश सिकारियों की विनिर्दे म्बान प्रतिकार प्रतिकार स्थान स्थान

प्रारुप-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF (for the forest land to be diverted under FCA)

- 5.1 A proposal has been received by this office from ANNIA THE CONTROL OF AND AND FOR AND FOR
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Othe forests measuring........ha.
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is bares minimum required for the project.
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there o
- 5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important nonument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.
 - a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
 - b) A It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Name. (अ.स.च. प्रमाणिक नामिकार)

Designation सामिक वन अनाव (Office कि.स.च.)

B. rerted.

x State the purpose for which the forest land is proposed to be

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the is not applicable.

option which

per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of ia for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of ests is required.

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal: UK-0223/2015

1. Location of the project/Scheme: Uttarakhand

(i) State / Union Territory: Uttarakhand

(ii) District: Almora

(iii) Forest Division: Civil Soyam, Almora

(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 2.43

(v) Category: Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion:

S. No.	Division Forest Land(ha.)		Legal Status
1	Civil Soyam,Almora	2.295	Civil Soyam land
2	Civil Soyam,Almora	0.135	Protected Forest

Division 1. : Civil Soyam, Almora

3. District wise area to be diverted in the division:

S. No.	District	Area(ha.)	
1	Almora	2.43	

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion:

(ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	2.43	0.4	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	chir	20	33	21	4	4

- $5. \ \ \mbox{Working plan prescription for the forest land proposed for diversion:} \ \mbox{No Data}$
- 6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion: no possibility of soil erosion on the land
- 7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.): .50
- $\delta.\;$ Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :
 - (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion: no wild life exits in the forest land
 - (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc.: No
 - Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
 - Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, (iv). elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion:

(V). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area: No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any:

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area: No
- 10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion:
 - (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: Yes
- 11. Details of violation(s), if any ,committed:
 - (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out: No
- 12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No): No Data
- 13. Details of compensatory afforestation scheme:
- (ii). Total Financial Outlay for C.A: 306950
- (iii). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?: Yes
- (iv). Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view: Annexure regarding suitability of land
- (v). Copy of detailed CA scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure etc.: Annexure CA scheme including species to be planted

Additional information Details:

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

14. District Profile:

S.no	District	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non- forest land (in ha.)
1	Almora	3689.30	1309.43	135.448	39	203.48996	17/03/2015	0	0

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land:

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Civil Soyam,Almora	North Kumaun	DFO	Yes	One	Site Inspection Report	17/03/2015
	North Kumaun	CF	No		No Data	

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II, III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason:

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Civil	North	DFO	Recommended	there are 160	Recommendation	

Soyam,Almor	a Kumaun			families of 4 village and 899 villagers are getting this facilities	<u>letter</u>	
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal 160 families of 4 villages will be benefited, hence recommended.	Recommendation letter	Yes

Print page

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details
A- 1. Project Details
(i). Proposal No.: FP/UK/ROAD/10668/2015
(ii). Name of Project for which Forest Land is required: Bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road
(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required: Construction of Bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road of 8.00km length
(iv). State: Uttarakhand
(v). Category of the Project: Road
(vi). Shape of forest land proposed to be diverted: Linear
(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs): 61.29
(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 2.43
(ix). Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion(in ha.): 4.77
(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): \ensuremath{NIL}
A- 2. Details of User Agency
(i). Name: CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
(ii). Address1 : Construction Division PWD Almora
(iii). Address2: NIL

(iv). State: Uttarakhand

```
Report Part 1
 (v). District: Almora
 (vi). Pin: 263601
 (vii). Landmark: NIL
 (viii). Email address: eecdalmorapwd@rediffmail.com
 (ix). Landline Telephone No.: 230091
 (x). Fax No.: 5962
 (xi). Mobile No.: 9759892120
 (xii). Website (if any): NIL
 (xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under
 the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past:
 (xiv). Legal status of User Agency: State Government
A-
3. Details of Person Making Application
 (i). First Name: Suresh
 (ii). Middle Name: Chandra
 (iii). Last Name: Arya
 (iv). Gender: Male
 (v). Designation: Executive Engineer
 (vi). Address 1: Construction Division PWD Almora
 (vii). Address 2: NIL
 (viii). State: Uttarakhand
 (ix). District: Almora
 (x). Tehsil: Almora
```

(xi). Pin: 263601

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: eecdalmorapwd@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 230091

(xv). Fax No.: 05962230091

(xvi). Mobile No.: 9759892120

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

Annexure U.A Document

B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in

1. the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Civil Soyam,Almora	2.43	4.77

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Almora	2.43	4.77

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Digriguth	0.18	0.18
2	Bhagartola	1.71	3.555
3	Chamuaguth	0.18	0.225
4	Chamuakhalsa	0.315	0.26

5 Kapkoli 0.045 0.55

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Digriguth	0.18	0.18
2	Bhagartola	1.71	3.555
3	Chmuaguth	0.18	0.225
4	Chamuakhalsa	0.315	0.26
5	Kapkoli	0.045	0.55

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1.: Civil Soyam, Almora

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.): 2.43

(ii).: Linear

(b). No. of Segments: One

Segment wise details			
Segments Segment Area(in ha.)		Kml File of Segments	
1.	2.43	Annexure Segment1	

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: <u>Annexure Survey of India Toposheet</u>

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map

<u>D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:</u>

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land : <u>Annexure Justification</u>
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes
- (a). Copy of map indicating location of alternative examined: <u>Annexure alternative examined</u>

E. Employment likely to be generated

5/2/2015

Report Part 1
(i). Whether the Project is likely to generate employment?: No
F. Displacement of People due to the Project, if any
(i). Whether Project involves displacement?: No
G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project
(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No
H. Status of Environmental Clearance
(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ?: No
I. Status of Wildelife Clearance
1. Status of Witdetife Clearance
(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or
their Eco sensitive zone? : No
J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas
(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No
K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006
on the forest land proposed to be diverted
(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts
2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes
(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the
Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted: <u>Annexure Documentry Evidence</u>
L. Details of land identified for Compensatory Afforestation
<u> </u>
(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by
User Agency?: Yes
(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be
provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: No
(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1
(,, or also less involved for raising compensatory Amorestation, 1
(iv). No. of patches: One

District 1. : Almora

(a). Village: Kalnu

(b). Area(in ha.): 2.43

(c). Copy of KML file of the patch: Annexure Patch

(d). Khasra details: 7225

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof: Annexure Copy of Ownership proof

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: <u>Annexure Mou/Agreement/Letter of intent executed/issued</u>

(h). Copy of non encumberence certificate for the forest land: Annexure non encumberence certificate

- (v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station: Annexure GPS or Total Station
- (vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: <u>Annexure Survey of India Toposheet</u>

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1	Additional Info.	2.1
2	Additional Info.	2.2
3	Additional Info.	2.3
4	Additional Info.	2.4
5	Additional Info.	2.5
6	Additional Info.	2.6
7	Additional Info.	2.7
8	Additional Info.	2.8
9	Additional Info.	2.9
10	Additional Info.	2.10
11	Additional Info.	2.11
12	Additional Info.	2.12
13	Additional Info.	2.13
14	Additional Info.	2.15
15	Additional Info.	2.16
16	Additional Info.	2.17

ı	I	1
17	Additional Info.	2.18
18	Additional Info.	2.19
19	Additional Info.	2.20
20	Additional Info.	2.21
21	Additional Info.	2.22
22	Additional Info.	2.23
23	Additional Info.	2.24
24	Additional Info.	2.25
25	Additional Info.	2.26
26	Additional Info.	2.27
27	Additional Info.	2.28
28	Additional Info.	2.29
29	Additional Info.	2.30
30	Additional Info.	2.31
31	Additional Info.	2.32
32	Additional Info.	2.33
33	Additional Info.	2.34
34	Additional Info.	2.35
35	Additional Info.	2.36
36	Additional Info.	2.37
37	Additional Info.	2.38
38	Additional Info.	2.39
39	Additional Info.	2.40
40	Additional Info.	2.41
41	Additional Info.	2.43
42	Additional Info.	Acknowledgement slip

Print page